शोध मंथन Vol. XIII No.I Jan.-Mar.2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.783 (SJIF)

महिला पुलिस – जनपद मेरठ का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ० सुमन
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मेरठ

प्राप्तिः 07.03.2022
स्वीकृतः 17.03.2022

रामकुमार
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मेरठ
ईमेलः *kumar.ram@gmail.com*

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन मेरठ जनपद की महिला पुलिसकर्मी के अध्ययन पर केन्द्रित है प्रस्तुत अध्ययन में महिला पुलिसकर्मी की सेवाओं, उनके मानसिक सन्तुष्टि स्तर, कार्यों के प्रभाव उनके दैनिक जीवन पर किस प्रकार पड़ते है उनका अध्ययन किया गया है अध्ययन में अनुसूची के द्वारा प्राथमिक आंकड़ो का संकलन 50 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यात्मक निदर्शन के द्वारा किया गया है द्वितीयक तथ्यों का संकलन पुस्तकों, लेख, शोध पत्रिकाओं से किया गया है, उत्तरदाताओं की आयु, धर्म, जाति, वैवाहिक स्थिति एवं पारिवारिक स्थिति का अध्ययन कर कार्य क्षेत्र में आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन किया गया है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है सेवा में आने के कुछ दिनों के बाद अरूचि एवं तनाव का सामना करना पड़ता है एवं परिवार के अन्य कार्य इसमें कर्तव्यों के बीच सामजस्य में तालमेल बैठाने में कठिनाई होती है।

मुख्य बिन्दु

महिला पुलिस,सन्तुष्टि स्तर, सामजस्य,तनाव आदि।

परिचय

समाज की उत्पत्ति के साथ ही उसकी व्यवस्था संगठन, संचालन एवं सुरक्षा हेतु कुछ नियमों का अनुपालन आवश्यक समझा जाता रहा है (जेम्सः 1961ः 15)। इनसाइक्लोपीडिया बिट्रानिका (1973 : 662) में पुलिस व्यवस्था को एक निकाय के रूप में स्वीकार किया गया है जिनके द्वारा कानून उल्घंन कर्त्ताओं की जॉच की जाती है। पुलिस शब्द लैटिन भाशा के पोलेशिया से बना है। जिसका तात्पर्य राज्य व्यवस्था को औपचारिक रूप से बनाये रखने वाले संगठन से है (शर्मा 1977.) विकसित आधुनिक समाज में सर्वप्रथम 1798–1800 के बीच इंग्लैण्ड में मैरिन पुलिस की व्यवस्था की गयी (निगम 1963:3)। जो कालान्तर में एक अधिकारियों का ऐसा संकुल बनता गया जो कि समाज में घटित किसी भी विचलनकारी व्यवहारों सामाजिक नियमों के उल्लंघन जुड़े हुए अपराधियों की छानबीन करती तथा उसे पीड़ित भी करती थी।

पुलिस एक प्रतिक्रियावादी बल के रूप में राजे–महाराजों की शानोशान को बरकरार रखने के लिये प्रयुक्त होते थे। ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में पुलिस उच्चवर्ग को आम वर्ग से बचाने के लिये एक हथियार के रूप में सामन्तों राजाओं तथा शासको द्वारा इस्तेमाल किये जाते थे। कहीं–कहीं सामान्यतः पुलिस कारखानों में मजदूरों से मालिकों को बचाने के लिए तथा भूमिपतियों को कृषि

मजदूरों से सुरक्षा देते थे (ब्लेक, 1968:25) ने तो यहाँ तक लिखा है कि पुलिस गौरांगो को उनके सामन्ती रहन–सहन के विरोध में जो भी आता था उसको दबाने के लिए पुलिस की उपस्थिति आवश्यक होती थी। दूसरे देशों में कथित स्थितियों से कुछ खास फर्क नहीं देखने को मिलता।

18वीं शताब्दी के उतरार्द्ध में भारतीय पुलिस के बारे में भारतीय पुलिस आयोग ने कहा था कानून व व्यवस्था को स्थापित करने वाले हर स्तर के अधिकारियों में अन्याय और यंत्रणा भरी है (बेली, 1969: 40)। यहाँ तक कि 1970 के आधुनिक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया जिसमे 86 प्रतिशत पुलिस के आदमी नहीं थे उनका कहना था कि पुलिस भ्रष्ट है, अन्यायी है तथा अपराधियों के बूरे कार्यों में संलग्न है' (श्रीवास्तव 1972, शर्मा, 1977)। 1975 में जब देश के अन्तर्गत संकटकालीन स्थिति की घोषणा की गयी है तो उस समय पर पुलिस अपने कर्तव्यों को भूलकर अत्यंत बर्बर रुप धारण कर ताना शाही शासन को घोषित करने में लगी रही

पुलिस कार्य ब्रिटिश शासन के हितार्थ सीमित था। 1976 तक भारत में पुलिस की कार्य प्रक्रिया एंव प्रणाली भारतीय पुलिस एक्ट 1861 के आधार पर ही चलती आ रही थी। 1861 से पूर्व सन् 1774 ई० में वारेन हेस्टिंग्स में ब्रिटिश शासन कालीन भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के तत्वाधान में सर्वप्रथम पुलिस सुधार कार्यक्रमों का श्रीगणेश किया। सन् 1861 के पंचम अधिनियम एक्ट 1867 में पुलिस व्यवस्था की संरचना एवं कार्य में सुधार लाने के लिए आवश्यक प्रबंध किया गया। यह अधिनियम पुलिस आयोग की संस्तुतियों पर आधारित 21 सितम्बर 1860 को सर ब्रार्टेल फेर द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का क्रियान्वयन था। सन् 1860 ई० में प्रथापित किये पुलिस आयोग की मुख्य संस्तुतियों पुलिस संगठन उसका प्रशासन तथा उसकी कार्य प्रणालियों के सम्बन्ध में थी।

स्वाधीनोपरान्त भारत में कुछ आयोग नियुक्त किये गये है जिसमें एक पुलिस आयोग जनता सरकार द्वारा सन् 1977 ई० में बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल धर्मवीर की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ जिसमें उनके संरचना, कर्त्तव्य तथा अधिकार प्रणाली, उत्तरदायित्व समाज के प्रति भूमिका आदि सन्दभों को विधिवत विश्लेषित किया गया। इसमें कुल सात प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये। किन्तु इस प्रतिवेदनों में से एक प्रतिवेदन को ही संसद में प्रस्तुत किया गया शेष छः प्रतिवेदनों को प्रस्तुत न किये जाने का कारण यह बताया कि प्रतिवेदकों की अधिकांश संस्तुतियां, सत्ताधारी राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों और उच्चस्तरीय पुलिस अधिकारियों पर प्रत्यक्षतः आघात पहुँचाती थी।

स्वतत्रंता के पश्चात 26 जनवरी, 1950 में लागू किए गए भारतीय संविधान में स्त्री–पुरुष को बराबरी के अधिकार दिए गए। भारत के संविधान में जाति और धर्म के अलावा लिंग पर आधारित भेदभाव को भी समाप्त कर दिया गया है। समता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गयी है। स्वतंत्रता के पश्चात् हिन्दू कानून में सुधार लाया गया। इसमें डॉ० अम्बेडकर की प्रमुख भूमिका रही। स्वतंत्रता के पश्चात् परिवार नियोजन और छोटे परिवार के आदर्श के प्रचार–प्रसार से भी महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति है। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में पहले से अधिक महिलाएँ सक्रिय हैं।

वर्तमान में सत्ताधारी सरकार द्वारा तीन तलाक जैसे मुद्दे पर बहस को मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में एक अच्छी पहल माना जा सकता है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में और चौहत्तरवें संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किए गए हैं।

यह महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब लोक सभा और विधान सभाओं में भी महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित करने का प्रस्ताव है। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए इस प्रस्ताव को लागू करने के अलावा जिस तरह पंचायतों और नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, उसी तरह शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में भी अनुसूचित जातियाँ, जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जा सकता है। महिलाओं के बीच शिक्षा के प्रसार के लिए यह विशेष प्रयत्न अति आवश्यक है। इससे स्त्रियों में समानता का अधिकार प्राप्त होने की सम्भावना बढ़ जायेगी। प्रस्तुत अध्ययन मेरठ जनपद में कार्य करने वाली महिला पुलिसकर्मी की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन है उद्देश्यात्मक निदर्शन के माध्यम से उत्तरदाताओं का चयन कर कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित अनुभवों का प्राप्त किया है। महिला पुलिसकर्मी को अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान पर प्रकाश डाला गया है। मेरठ जनपद में 50 महिला उत्तरदाताओं का चयन कर उनके अध्ययन क्षेत्र में आने वाली कठिनाईयों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है।

उद्देश्य

- महिला पुलिस उत्तरदाता से सामान्य जानकारी प्राप्त करना।
- कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित पक्षों की जानकारी प्राप्त करना।
- महिला पुलिस कार्य क्षेत्र में किन समस्याओं का सामना करती है। उनका पता लगाना।
- कारणों को ज्ञात कर उन्हें दूर करने के उपायो का पता लगाना।

साहित्यक पुर्नावलोकन

पुलिस विभाग में महिलाओं को अलग करना जबकी पुरुषों की योग्यता में लापरवाही बरतते हुए पुरुषों की नियुक्ति करना यह असंवैधानिक है। लेखक अमेरिका के पुलिस विभाग के महिला पुलिस की स्थिति में सुधार देखती है। किसी दूसरे देश की तरह इस दिशा में भी दो पहलू पाये गये हैं। पहला पहलू महिलाओं की पुलिस विभाग में क्रमिक स्वीकृति, समाज में लड़कियों की दुष्ट बलों से सुरक्षा। कुछ वर्षों से दूसरा पहलू विकसित हुआ जो महिलाओं और पुरुषों की समानता को उनके नित्य गश्त कार्यो में प्रभावित करता है।

लुइस 1975 में देश में 16 महिला पुलिस तथा 16 पुरुष पुलिस का एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया। क्रोधित नागरिकों का प्रबन्धन करने में महिला तथा पुरुष पुलिस दोनों को समान रूप से प्रभावकारी पाया गया। विरोधात्मक स्थितियों जैसे कार, ट्रैफिक के मामले में महिला पुलिस कम आक्रामक, ज्यादा संवेदनशील, जवाबदेही और व्यस्त पायी गयी। जनता की दृष्टि में घरेलू झगड़ों के मामलों में पुरुष पुलिस की अपेक्षा महिला पुलिस ज्यादा कुशलता से निपटारा करने वाली पायी गयी। उनकी सुपुर्दगी में महिलाएँ स्वयं को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। महिला पुलिस के सहकर्मी पुरुष का व्यवहार नकारात्मक पाया गया।

कैलिफोनिया में 1976 में 28 पुरुष और 22 महिलाएँ जो हाइवे पोल पर तैनात थे उनका अध्ययन किया गया यह पाया गया कि सभी महिलाओं ने क्षमतापूर्वक प्रदर्शन किया।

स्मिथ ने पुलिसकर्मियों पर एक सर्वे किया और पाया कि महिलाएँ पुरुष की भाँति ही अपना कार्य करती हैं महिलाएँ ड्यूटी करते समय पुरुष की अपेक्षा चोट का कम शिकार होती हैं। महिलाओं पर अपराधिक हमला भी कम होता है।

भाश्कर (1974) जिन्होंने पुलिस पेशे को जीवनचर्या के रूप में मूल्यांकित किया। उन्होंने पाया कि ज्यादातर महिला पुलिसकर्मी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार से हैं तथा मुख्यतः आर्थिक कारणों से उन्होंने पुलिस व्यवसाय चुना।

राव (1975) में जिन्होंने भारत में महिला पुलिस पर अध्ययन किया। इन्होंने इंगित किसा कि तेजी से बदलते सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों ने हमारे देश में पुलिसिंग की समस्या में एक नया आयाम जोड़ दिया है। उनके अनुसार धरना प्रदर्शन, दंगा, बन्द, जुलूस, हड़ताल आदि में महिलाओं और युवतियों की भागीदारी इस स्तर तक बढ़ गयी है कि पारम्परिक पुरुष पुलिसकर्मियों के लिए परिस्थितियों से प्रभावकारी ढंग से निपटना मुश्किल हो गया है इसलिए देश में महिला पुलिस अपरिहार्य हो गयी है।

बी0पी0आर0 एण्ड डी0 1975 में कुछ अधिकारियों ने भारत में महिला पुलिस के इतिहास, भर्ती, यूनिफार्म, कार्य आदि चर्चा की है।

अरूणा भारद्वाज (1976) जो सामाजिक कार्य के लिए दिल्ली पुलिस पर महिला पुलिस आफिसर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रोग्राम आफिसर के रूप में नियुक्त थी इन्होंने दिल्ली पुलिस में महिला अधिकारी विशेषकर (Assistant Sub Inspector) सहायक उप निरीक्षक और उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के पुलिस व्यवसाय में महिलाओं के प्रवेश की बढ़ती आवश्यकता के विशेष सम्बन्ध में अध्ययन किया। महिलाओं के प्रशिक्षण उनके सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि कर्तव्यों की प्रकृति, नौकरी की स्थितियाँ, समस्याएँ आदि के विषय में भी अध्ययन किया।

घोष ने (1981) सम्पूर्ण भारत के महिला पुलिसकमियों के विकास, प्रशिक्षण, सुविधा, भर्ती नीति भूमिका आदि को प्रस्तुत किया। उन्होंने कुछ महिला पुलिस अफसरों का साक्षात्कार किया और पाया कि वे विभाग में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं अनुभव करती। उनमें से ज्यादातर ने बताया कि पुरुष पुलिस (सभी रैंक के) उनके प्रति आदरयुक्त हैं।

महाजन (1982) ने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ चार राज्यों के महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका और भूमिका सम्पादन पर उत्तम कार्य किया। यह समाजशास्त्रीय अध्ययन उन्होंने मुख्य प्रश्नों के उत्तर का पता लगाने के लिए था। पहला उन कारकों का पता लगाना जिन्होंने महिलाओं को पुलिस बल को रोजगार के रूप में अपनाने के लिए अभिप्रेरित किया।

अलीम 1990 ने अपने अध्ययम में विभिन्न राज्यों की महिला पुलिस पर विश्वसनीय सूचना दी। उन्होंने भारत के महिला पुलिस से सम्बन्धित औपचारिक और अनौपचारिक सूचनाओं को एकत्रित करने की कोशिश की।

डा0 ओम राज सिंह ने महिला पुलिस के बारे में लोगों का ज्ञान विषय पर अध्ययन किया। इस अध्याय में पाया गया कि समाज महिला पुलिस की स्थिति से अनभिज्ञ है। जनता का बहुत ही छोटा भाग महिला पुलिस की छवि को अच्छी मानता है।

समता राय अमूल्य खुराना ने कश्मीर में पैरामिलिट्री कर्मचारियों के संगठनात्मक भूमिका और कार्य सन्तुष्टि का अध्ययन किया, अध्ययन में पाया गया कि पैरामिलिट्री बल के कर्मचारियों के संगठनात्मक भूमिका तनाव और कार्य सन्तुष्टि का नकारात्मक सम्बन्ध है।

भास्कर ज्योति महन्ता ने आसाम पुलिस तथा UNICEF के सहयोग से हिंसा से पीड़ित बच्चों में सुधार के लिए 'आश्वास' संगठन नाम से अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि पुलिस के चरित्र, व्यवहार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ग्रामवासियों में बच्चों सम्बन्धी ज्ञान में वृद्धि हुई है।

डा0 शिवनाथ देव, तनुश्री चक्रवती, पूजा चटर्जी, डा0 नीरजकाशी श्रीवास्वत ने कोलकाता में यातायात पुलिस अधिकारियों एवं कान्स्टेबल के तनाव का तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि यातायात पुलिस अधिकारी को 5 प्रतिशत उच्च तनाव, 50 प्रतिशत मध्यम तनाव, कान्स्टेबल को 29 प्रतिशत उच्च तनाव तथा 76.4 प्रतिशत मध्यम तनाव था। अधिकारियों में तनाव का कारण अपर्याप्त विश्राम, अवकाश का न होना, जबकि कान्स्टेबल में अपर्याप्त छुट्टी, कार्य दबाव, राजनीतिक दबाव, सामाजिक समारोहों में अनुपस्थिति, परिवार को समय न दे पाना पाया गया।

अमरजीत महाजन (Indian Police women– 1989)

इस अध्ययन में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ की 139 महिलाओं का अध्ययन किया गया है। महाजन का यह पहला आनुभविक अध्ययन था। उन्होने अपने अध्ययन में महिला पुलिस से वैयक्तिक साक्षात्कार में पाया कि पुलिस विभाग में महिलाएँ आभासी भूमिका निभाती हैं। इसका कारण ये है कि पुरुषों का विरोध, संगठनात्मक उदासीनता, नकारात्मक सामाजिक प्रतिक्रियाएँ और अच्छे कार्य के लिए अवसरों की कमी तथा प्रतिवद्धता के कारण महिला पुलिस कर्मियों में तनाव पैदा होता है। अभी तक महिला पुलिस कर्मी के कार्य को, पुलिस कर्मी और समाज से स्वीकृति व मान्यता प्राप्त नही हुई है। महाजन के सुझाव के अनुसार महिला पुलिस के कार्य को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। महिला पुलिस के कार्य की प्रकृति सामाजिक कार्यकर्ता के समान होनी चाहिए।

के. पांडुरंगन (Women Police in India– 1993)

के. पांडुरंगन ने दिल्ली और दक्षिणी राज्यों का आनुभाविक शोध किया। यह शोध राजनैतिक विज्ञान के अन्तर्गत किया गया था। महिला पुलिस विभाग में प्रवेश बच्चों एवं महिलाओं से सम्बन्धित विशिष्ट कार्य के लिए लेती है। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि यह सत्य नहीं है। आगे पांडुरंगन सुझाव देते हैं कि महिलाओं को पुरुष की भाँति ही प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि महिला पुलिस बच्चों और महिलाओं को आत्म सरंक्षण के लिए प्रशिक्षित कर सके। जिससे वह समय आने पर वह स्वयं अपनी व अन्यों की रक्षा कर सके।

डा0 विमलेश यादव 2002 ने महिला पुलिस की समस्याओं को जानने के लिए ''अपराधों की रोकथाम में महिला पुलिस की भूमिका'' का अध्ययन किया। अध्ययन में महिला पुलिस की प्रमुख समस्या (1) जोखिम पूर्ण जीवन (2) पुलिस की खराब छवि (3) व्यस्तता का आधिक्य (4) अधिकारियों द्वारा शोषण पाया गया।

अध्ययन पद्धति

जनपद मेरठ से 50 महिला पुलिस उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यात्मक निर्दशन से किया गया है। मेरठ में क्षेत्र निरीक्षक, उपनिरीक्षक, प्रमुख आरक्षी, आरक्षी सहायक पुलिस उपनिरीक्षक पदों पर महिला पुलिसकर्मी तैनात है। महिला पुलिस कर्मियों के लिए पूर्व में रही मंजिल सैनी एक आदर्श की तरह पायी गयी तथा ग्रामीण इलाके की लड़कियों के लिए इस क्षेत्र में प्रेरणास्रोत की तरह कार्य कर रही है।

सामान्य अवलोकन एवं आंकड़ो से पता चलता है कि कुछ समय पहले तक महिलाओं के लिएकुछ क्षेत्र खुले नही थे लेकिन आज महिलाएँ उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है उनमें से एक पुलिस का क्षेत्र है। आज महिला पुलिस की बढ़ती हुई भागीदारी हमारी अपराध दर को रोकने एवं सामाजिक नियन्त्रण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है लेकिन अध्ययन से हमे पता चलता है कि महिलाएँ इस क्षेत्र में आने के बाद कुछ समय बाद मानसिक तनाव, कार्यस्थल पर उत्पीड़न एवं पारिवारिक दायित्वों में तालमेल रखने में अपने आप को असमर्थ पाती है। कार्य क्षेत्र मे पुरूषों की अपेक्षा अपने को कमतर महसूस करती है। प्रस्तुंत अध्ययन से कुछ निष्कर्ष निकाले गये है।

अध्ययन के चयनित महिला पुलिसकर्मी विभिन्न आयुवर्गो से सम्बन्धित हो जिनमें 20–30 आयुवर्ग 44 प्रतिशत, 30 से 40 आयु वर्ग की 28 प्रतिशत, 40–50 आयु वर्ग की 18 प्रतिशत तथा 50 के पास 10 प्रतिशत का चयन किया गया है। चयनित महिला पुलिसकर्मीयों से सबसे अधिक 56 प्रतिशत अविवाहित है। विवाहित महिला पुलिसकर्मी 28 प्रतिशत तथा अन्य में 16 प्रतिशत चयनित की गयी। अध्ययन के दौरान अवलोकन से पता चलता है कि अविवाहित महिला पुलिसकर्मी भी अपने प्रजननमूलक परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के प्रभाव से तनावग्रस्त पायी गयी है।

तालिका संख्या–1

महिला पुलिसकर्मीयों का आयु के आधार पर वर्गीकरण

क्र0 सं0	आयुवार विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण	प्रतिशत
1	20.30	22	44
2	30.40	14	28
3	40.50	09	18
4	50 above	05	10
कुल संख्या		**50**	**100**

अध्ययन के चयनित महिला पुलिसकर्मी विभिन्न आयुवर्गो से सम्बन्धित हो जिनमें 20–30 आयुवर्ग 44 प्रतिशत, 30 से 40 आयु वर्ग की 28 प्रतिशत, 40–50 आयु वर्ग की 18 प्रतिशत तथा 50 के पास 10 प्रतिशत का चयन किया गया है।

तालिका संख्या–2

महिला पुलिसकर्मीयों का वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

क्र0 सं0	वैवाहिक स्थिति	म0पु0 संख्या	प्रतिशत
1	अविवाहित	28	56
2	विवाहित	14	28
3	अन्य	08	16
कुल संख्या		**50**	**100**

चयनित महिला पुलिसकर्मीयों से सबसे अधिक 56 प्रतिशत अविवाहित है। विवाहित महिला पुलिसकर्मी 28 प्रतिशत तथा अन्य में 16 प्रतिशत चयनित की गयी। अध्यन के दौरान अवलोकन से पता चलता है कि अविवाहित महिला पुलिसकर्मी भी अपने प्रजननमूलक परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के प्रभाव से तनावग्रस्त पायी गयी है।

तालिका संख्या–3

महिला पुलिसकर्मी की संन्तुष्टि का स्तर

क्र0 सं0	स्थिति	म0पु0 संख्या	प्रतिशत
1	संन्तुष्ट	08	16
2	असन्तुष्ट	26	52
3	कह नही सकते	16	32
सम्पूर्ण योग/कुल		**50**	**100**

महिला पुलिसकर्मी में मात्र 16 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपने कार्यक्षेत्र से सन्तुष्ट पायी गयी 52 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपने स्टाफ, सुविधाएं व अपनी निजी प्रगति को लेकर तनावग्रस्त महसूस करती है। जबकि 32 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मी अपनी स्थिति स्पष्ट करने में असहज महसूस करती पायी गयी है।

तालिका संख्या–4

महिला पुलिसकर्मी का सभी पुरूष पुलिसकर्मी के व्यवहार सम्बन्धी विचार का विवरण

क्र0 स0	स्थिति	महिला उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	बहुत अच्छा	12	24
2	ठीक ठीक	20	40
3	भेदभाव पूर्ण	10	20
4	असुरक्षित	08	16
कुलयोग		**50**	**100**

महिला पुलिसकर्मीयों के कार्यक्षेत्र का अध्यन करने का पता चलता है कि 24 प्रतिशत अपने स्टाफ से बहुत खुश पायी गयी है। 40 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपनी स्थिति से ज्यादा खुश नही पायी गयी 20 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी भेदभावपूर्ण व्यवहार महसूस करती है तथा 10 प्रतिशत महिलाएँ अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है।

सुझाव

- महिला एवं पुरूषकर्मीयों के साथ एक समान व्यवहार कार्यस्थल पर होना चाहिए।
- महिला पुलिसकर्मीयों के लिए उचित विश्रामग्रह एवं स्वच्छ शौचालय की उचित व्यवस्था कार्यक्षेत्र में होनी चाहिए।
- महिला पुलिसकर्मी मासिक चक्र के दौरान कुछ विशेष छूट अवकाश सम्बन्धी प्रदान की जानी चाहिए।
- महिला पुलिसकर्मीयों से कार्यक्षेत्र में कठिन कार्य न कराया जाये जिसमें महिलाओं को उम्र बढ़ने के साथ–साथ शारीरिक क्षीणता आने से कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना करती है।
- महिला पुलिसकर्मी ने यह आवश्यकता महसूस की जो पारिवारिक सदस्य विभाग में कार्यरत है उन्हें उनके क्षेत्र में नियुक्ति दी जाये ताकि कार्यक्षेत्र में पारिवारिक लोगों के मानसिक समर्थन मिलता रहे।

- कुछ महिलाएँ जो उच्च पदों पर जाना चाहती है उन्होंने यह महसूस किया कि समय–समय पर विभाग से परीक्षाओं का आयोजन कराया जाये जिससे पदोन्नति में सहायता मिलती रहे।
- आज संचार क्रान्ति के युग में कुछ महिला पुलिसकर्मी की मांग की भी प्रौद्योगिकी ज्ञान से जुड़े कार्यक्रम समय–समय पर विभाग द्वारा कराये जाये।

निष्कर्ष

- अध्ययन में हमने पाया चयनित पुलिस महिलाकर्मी ज्यादातर 64 प्रतिशत विवाहित तथा 36 प्रतिशत अविवाहित है दोनों स्थिति में तुलना करने पर पता चलता है कि विवाहित महिला पुलिसकर्मी अधिक दायित्व परिवार के प्रति मानती है जिसके समय–समय पर पूरा न कर पाने के कारण तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है।
- अध्ययन में अधिकांश उत्तरदाता स्नातक स्तर से सम्बन्धित पायी गयी है।
- अधिकांश महिला पुलिसकर्मी ग्रामीण पृष्टभूमि से पायी गयी है जो यह प्रदर्शित करता है कि महिलाएँ रूढ़िवादी सोच को बदलकर आप अपने विकास के लिए सोचने लगी है।
- अध्ययन में पता चलता है कि घरेलू महिलाओं की तुलना में कार्यरत महिलायें अपने अधिकारो के प्रति अधिक जागरूक पायी गयी पुलिस के क्षेत्र में आने से आत्मनिर्भता तथा निर्णय लेने में समक्ष महिला पुलिसकर्मी में देखने को पायी गयी।
- अध्ययन में यह भी देखा गया कि अधिकांश अविवाहित महिला उत्तरदाताओं ने अपने परिवारों के आय के स्त्रोतो में योगदान देने के कारण पारिवारिक स्थिति में सुधार एवं निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिलती है।
- अध्ययन यह पता चलता है महिला पुलिसकर्मीयों ने माना कि कार्यक्षेत्र में व्यस्ता एवं अधिक दबाव होने के कारण परिवार को उचित समय नहीं दे पाते है।
- कार्यस्थल पर महिला पुलिसकर्मी को कुछ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके लिए सरकारी स्तर पर दूर करने के उपाय करने चाहिए ताकि महिला पुलिसकर्मी कार्य क्षेत्र में आरामदायक स्थिति महसूस कर सके और कार्य ने रूचि बनी रहे।
- कार्यक्षेत्र में महिलापुलिसकर्मी का महिलाओं के प्रति व्यवहार अच्छा देखने को मिलता है तथा कुछ स्थितियों में महिलाएँ महिला पुलिस से ज्यादा महसूस करती है।
- अधिकांश महिलायें मानती है कि उनके साथी पुलिसकर्मी का व्यवहार सहयोगात्मक एवं भेदभाव रहित है।

सन्दर्भ

1. जोशी, अमिता. महिला और पुलिस, प्रकाशक, राजस्थान हिन्दी।
2. जैन, दीपा. (2007). महिला सुरक्षा एवं महिला पुलिस, प्रकाशक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
3. सिंह, इन्दू प्रकाश. इण्डियन वूमन।
4. (2003). दैनिक जागरण, 6 मार्च।
5. जैन, दीपा. (2007). महिला सुरक्षा एवं महिला पुलिस, प्रकाशक : राजस्थान हिन्दी राज्य अकादमी।

6. (2008). दैनिक जागरण, 15 मार्च।
7. शर्मा, पी. डी. एवं बी. एम. (1992). भारतीय प्रशासन क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।
8. (2006). पुलिस विज्ञान, जुलाई–सितम्बर, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो।
9. रिपोर्ट आफ पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी पृष्ठ **61.**
10. रिकमेन्डेसन आफ नेशनल पुलिस कमिशन, सातंवी रिपोर्ट पैरा 50, पृष्ठ **26.**
11. (1961). उत्तर प्रदेश पुलिस कमिशन रिपोर्ट, अध्याय–4 पैरा–26, पृष्ठ **21.**
12. उत्तर प्रदेश कमिशन रिपोर्ट : परिशिष्ट 8 पृष्ठ **204.**
13. यादव, विमलेश. (2002) अपराधों की रोकथाम में महिला पुलिस की भूमिका सृजक प्रकाशन, राजनगर, गाजियाबाद।
14. जैन, दीपा. महिला सुरक्षा एवं पुलिस।
15. साहू, अलका. (2001).
16 शर्मा, पी. डी. एवं बी. एम. (1992). भारतीय प्रशासन क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।
16. Kapur, Promit. (1974). Changing Status of Working Women in India.
17. Vadhera, Kiran. (1976). New Brand Winner.
18. Rani, Kala. (1976). “Role confict in working women.
19. Aleem, S. Women in Policing.